भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2365

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाताओं की संख्या

†2365. **श्री बृजमोहन अग्रवाल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) के लिए आवंटित कुल निधि बनाम उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और नवीनतम तिमाही के अनुसार देशभर में कार्यरत कुल इंस्पेक्टर-सह-सुविधाप्रदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त विशिष्ट संवर्गों में लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों के तकनीकी कारणों का ब्यौरा क्या है और डिजिटलीकृत वेब-आधारित यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली के भीतर लंबित कार्यस्थल सुरक्षा समीक्षा का कुल बकाया कितना है;

(ग) छत्तीसगढ़ में सुविधाप्रदाताओं की वर्तमान स्वीकृत बनाम कार्यरत संख्या का ब्यौरा क्या है और इसका आदिवासी और अनुबंध श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस अंतिम-मील के प्रवर्तन निर्वात का समाधान करने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत प्रवासी रजिस्टरों या सुरक्षा-समिति एपीआई उत्प्रेरकों के साथ एल्गोरिथम अन्योन्य संदर्भों को परिनियोजित करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय और डीजीओएसएच (पूर्ववर्ती डीजीएफएएसएलआई) द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है (हजार रुपये में):

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)] के लिए:

कुल आवंटित धनराशिः 1009020 रूपये

कुल उपयोग की गई धनराशि: 995079 रुपये

डीजीओएसएच (पूर्ववर्ती डीजीएफएएसएलआई) के लिए:

कुल आवंटित धनराशि: 343400 रुपये
कुल उपयोग की गई धनराशि: 332428 रुपये

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और डीजीओएसएच [पूर्ववर्ती डीजीएफएएसएलआई] में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाताओं की स्वीकृत संख्या क्रमशः 237 और 18 है।

(ख) संवर्ग में रिक्तियां मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, इस्तीफे, भर्ती चक्र के दौरान कार्यभार न संभालने और निर्धारित भर्ती एजेंसियों/प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय के कारण उत्पन्न होती हैं। मौजूदा भर्ती नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के रायपुर क्षेत्र (छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए) में अधिकारियों/सुविधाप्रदाताओं की स्वीकृत और कार्यरत संख्या इस प्रकार है:

पद	**स्वीकृत संख्या**	**पदस्थ**
उप मुख्य श्रम आयुक्त (डिप्टी सीएलसी)	1	1
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी)	2	2
सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी)	1	1
श्रम प्रवर्तन अधिकारी (एलईओ)	4	4

सरकार ने अंतिम-मील के प्रवर्तन का समाधान करने के लिए हाल ही में समाधान पोर्टल और श्रम सुविधा पोर्टल का कायाकल्प किया है।
